सं०: एस-16011/2/2014-ओ/ओ निदे०(एसबीएम)

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

*****

12वाँ तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ काम्प्लैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली, 110003
दिनांक- 17.03.2016

सेवा में,

प्रधान सचिव,
प्रभारी ग्रामीण स्वच्छता,
बिहार, झारखंड, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड तथा पश्चिमी बंगाल।

विषय: गंगा कार्य योजना के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

मुझे इस मंत्रालय के दिनांक 05/10/2015 समसंख्यक पत्र तथा तत्पश्चात 27/10/2015 और 14/12/2015 के अनुस्मारक की ओर आपका ध्यान केंद्रित कराने का निदेश हुआ है। जिसमें राज्यों से स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के अंतर्गत गंगा कार्य योजना के संशोधित वास्तविक समयबद्ध लक्ष्य भेजने के लिए कहा गया था परंतु अभी तक केवल बिहार तथा उत्तराखंड से ही संशोधित कार्य योजना प्राप्त हुई हैं। उत्तराखंड की कार्य योजना में एसएलडब्ल्यूएम एवं सीएससी को छोड़कर केवल आईएचएचएल ही शामिल है।

2. इसके अलावा, यह उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय ने कुछ केंद्र प्रायोजित स्कीमों का वित्त पोषण ढांचा 60:40 (पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के संदर्भ में 90:10) के अनुपात में संशोधित किया है जिसे इस मंत्रालय के दिनांक- 10.11.2015 तथा 16/2/2016 के पत्र सं० एस-11011/1/2015-एसबीएम के माध्यम से सभी राज्यों को परिचालित किया गया था।

3. अब वित्त पोषण ढांचे को संशोधित किया जा चुका है और वास्तविक सीमाबद्ध लक्ष्य प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं, सभी राज्यों से अनुरोध है कि गंगा कार्य योजना प्रस्तुत करें। नए वित्त पोषण ढांचे 60:40 के आधार पर वर्ष-वार वित्तीय आवश्यकता का ब्यौरा संशोधित कार्य योजना के साथ भेजा जाए।

4. इस मंत्रालय ने वर्ष 2015-16 के लिए दिनांक शून्य के मंजूरी आदेश में गंगा कार्य योजना के अंतर्गत 5 राज्यों को निधियां जारी की हैं। जारी निधियों संबंधी अनंतिम उपयोग प्रमाण पत्र संशोधित कार्रवाई के साथ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ताकि गंगा कार्य योजना के अंतर्गत आगे और निधियां जारी करने के लिए जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा पुनरूद्धार मंत्रालय के साथ मामला उठाया जाए। एसबीएम-जी दिशा-निर्देशों में दिए गए फार्मेट के अनुसार अंतिम उपयोग प्रमाण पत्र तथा लेखों के लेखा परीक्षित विवरण वित्त वर्ष के अंत के दो माह के भीतर प्रस्तुत किए जाएं।

5. अत: अनुरोध है कि इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के भीतर सभी अपेक्षित दस्तावेज/सूचना (सिवाए यूसी और एएसए के) इस मंत्रालय को प्रेषित की जाए।

भवदीय,

ह/०

(सुनील कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष- 24369654

प्रतिलिपि:

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
2. एसबीएम(जी) के राज्य समन्वयक, उपर्युक्त राज्य
3. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए